संख्या- 1865 /XVII-B-1/2020-01(03)/2021

प्रेशक,

एल. फैनई,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड षासन।

सेवामें,

निदेषक,

अल्पसंख्यक कल्याणविभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याणअनुभागदेहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2021

विशय-वित्तीय वर्श 2021-22 में ‘उत्तराखण्डअल्पसंख्यक आयोग’ हेतु अधिश्ठान मद में कम पड़ रही धनराषि का पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र 696/नि.अ.क./1341 पुनर्विनियोग/2021-22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-423 /9 (150) -2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31-3-2021 के अनुक्रममें मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में ‘‘उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग’’ के अन्तर्गत कम पड़ रही धनराषि ` 4.75 लाख (` चार लाख पिचहत्तर हजार मात्र) को संलग्न बी.एम.-09 के अनुसार सम्भावित बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित षर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराषि की स्वीकृति उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग हेतु मानक मद ‘02-मजदूरी’ में व्यय हेतु देयकों के नियमानुसार भुगतान हेतु प्रदान की जा रही है।

2. धनराषि का व्यय करते समय उक्त संदर्भित षासनादेष दिनांक 31.3.2021 एवं समय-समय पर निर्गत षासनादेषों में दिये गये दिषा-निर्देषों का अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित करते हुए मितव्ययता का विषेश ध्यान रखा जायेगा।

3. उक्त संदर्भित षासनादेष दिनाक 31.3.2021 के प्राविधानानुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की आवष्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराषि का व्यय किया जायेगा।

4. उक्त धनराषि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका अथवा मूल आदेषों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवष्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराषि माहवार आवष्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराषि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

6. स्वीकृत की जा रही धनराषि का आहरण आवष्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विशय में षासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त षासनादेषों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. मितव्ययता के फलस्वरूप अवषेश धनराषि को वित्तीय वर्श के अन्त में नियमानुसार षाासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्तीय नियमसंग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगतनियमों, शासनादेशों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होनेवाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक संख्या ‘‘2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचितजनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग औ रअल्पसंख्यकों का कल्याण के मानक मद-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-001-निदेशक तथा प्रषासन-04-अल्लसंख्यक आयोग का अधिश्ठान-00’’ के मानकमद ‘02-मजदूरी हेतु भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग संलग्न बी.एम.-09 से किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अषा0संख्या 125/(मं.)/XXVII (3) 2021-22 दिनांक 08.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति तथा शासनादेश संख्या-130/ XXVII (6) /430 / एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धनप्रणाली के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्टनम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी.सं0-S21100150008 ,दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव।

संख्याः - 1865 (1)/XVII-B-1/2020ए तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवंहकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।

3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरादून।

4. निदेशक, कोषागार एवंवित्तसेवाऐं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवंसंसाधननिदेशालय, उत्तराखण्डसचिवालय परिसर, देहरादून।

6. महानिदेशक, सूचना एवंलोकसम्पर्कविभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7. सचिव, उत्तराखण्डआयोग, देहरादून।

8. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।

9. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(एल.फैनई)

प्रमुख सचिव।